पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 में निहित प्रावधानानुसार एवं शासनादेश संख्या 335971/XXX(2)/2025/ई–33080 दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 तथा शासनादेश संख्या 403252/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 09 जून, 2026 के क्रम में विभागाध्यक्ष स्तर पर किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :–

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नीलम मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये वर्तमान संस्था से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।

3. वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 में निहित प्राविधानानुसार यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए किसी भी स्तर से अनावश्यक प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते है अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डालने का प्रयास किया जाता है तो उनके इस कृत्य/आचरण को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा उनके विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० उदय शंकर)
निदेशक।

संख्याः 1578/**स्था० एक/व०प्र०अ० (स्थाना०)/2026–27 दिनांकः** 30 **जून, 2026**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा०मंत्री जी, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार को मा०मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, मुख्यालय।
7. श्रीमती नीलम मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी को अनुपालनार्थ।

(डा० उदय शंकर)
निदेशक।